

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

संख्या -291 / 2024

मान :

भजनसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति रायसिख निवासी 1 जी.एम.ए. तहसील घड़साना  
जिला अनूपगढ़।

वादी

बनाम

जीतसिंह पुत्र आत्मासिंह जाति रायसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :- वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिंह :- प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 28/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकन० 4 टी.एल.डबल्यू के खाता सं० 61/64 के प० न० 235/286 मु० 20 किलानं० 24/.253 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 4 टी.एल.डबल्यू के खाता सं० 61/64 में से प्रतिवादी का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (राजस्व)  
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी